



## कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2024/ 1911

दिनांक :- 25/04/2024

निमित्त :

श्री रामदेव पुत्र श्री नारायण  
जरिये श्री शरद चौधरी पुत्र श्री इकबाल सिंह  
निवासी :- 1 गुरु कृपा कॉलोनी  
सोहरिया, कोटा (राज0)।

विषय :- ले-आउट प्लान (अयोध्या रेजीडेन्सी आवासीय योजना) खसरा नम्बर 287 ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब क्षेत्रफल 13600 वर्गमीटर के ले-आउट प्लान अनुमोदन के सम्बन्ध में

राज्य सरकार कि अधिसूचना क्रमांक एफ 3(77)न.वि.वि./3/2010 दिनांक 28.06.10 द्वारा जारी निजी क्षेत्र में आवासीय, ग्रुप हाउसिंग व अन्य योजनाओं हेतु नीति 2010 (10 हैक्टेयर से कम) के अन्तर्गत आपके आवेदन के क्रम में ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 05/03/2024 में लिये गए निर्णयानुसार ले-आउट प्लान स्वीकृति उपरांत योजना विकसित किये जाने हेतु निम्न शर्तों के साथ जारी किया जा रहा है -

- (1) अनुमोदित योजना प्लान में उल्लेखित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी है।
- (2) नियमानुसार कृषि भूमि रुपान्तरण राशि न्यास कार्यालय में जमा करवानी होगी।
- (3) पॉलिसी में उल्लेखित शर्तों के अनुसार भूखण्डों की बुकिंग, पट्टा/लीज डीड आदि की कार्यवाही की जावेगी।
- (4) योजना में विकास कार्य उक्त तिथि से 6 माह में प्रारम्भ व 18 माह में पूर्ण करना होगा। विकास कार्य पॉलिसी में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न्यास के संबंधित अधिशाषी अभियंता की देखरेख में कराना होगा, निर्धारित समयवधि में मानदण्डों के अनुसार योजना के सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कर अधिवास प्रमाण-पत्र लिया जावेगा, तथा विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत 3 वर्ष तक रख-रखाव करना होगा। यदि योजना में विकास कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं पाये जाते हैं, तो अधिवास प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
- (5) भूखण्डों पर निर्माण न्यास से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर करवानी होगी।
- (6) ले-आउट प्लान में दर्शित EWS/LIG भूखण्डों का निष्पादन मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानानुसार किया जाना होगा।
- (7) स्वीकृत प्लान अनुसार ही विकास कार्य किये जावेंगे योजना में किसी प्रकार का संशोधन न्यास की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।
- (8) रैनवाहटर हारवेस्टिंग के लिये व्यवस्था करना अनिवार्य होगी। विकसित की जाने वाली योजना में मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान के अनुसार सड़कें, सीवर लाईन, नाले ओवरहेड, केबल्स आदि के लिये सम्बन्धित संस्था को 'राइट आफ वे' दिया जावेगा।
- (9) स्वीकृत ले-आउट प्लान की प्रति जानकारी हेतु योजना स्थल पर बोर्ड पर लगाई जावें, जिसमें न्यास में रहन रखे गये भूखण्डों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जावें।
- (10) ले-आउट में सड़कों का लेवल इस प्रकार हो कि ड्रेनेज की व्यवस्था मुख्य सड़कों पर स्थित ड्रेन में सुचारु रूप से हो सके।
- (11) आंतरिक विकास कार्य के पेटे 12.5 % विक्रय योग्य भूखण्ड (भूखण्ड सं0 04 से 12, 14 से 17 कुल भूखण्ड 13 क्षेत्रफल 11775 वर्गफीट) आरक्षित किये जाते हैं, जिनकी बुकिंग न्यास द्वारा भूखण्ड रहनमुक्त करने के उपरांत ही की जा सकेगी। उक्त भूखण्ड नगर विकास न्यास में रहन है एवं उक्त भूखण्डों को किसी को भी बैचान नहीं करें। यदि

बैचान किया जाना पाया जाता है तो स्वीकृति किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। उपरोक्तानुसार 12.5 प्रतिशत आरक्षित भूखण्डों को रहन रखे जाने हेतु मॉर्गेज डीड संपादित करवायें।

- (12) आवेदक को योजना के आंतरिक विकास बाबत टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार तकमीने प्रस्तुत करने होंगे एवं तकमीनों का न्यास की अभियांत्रिकी शाखा से अनुमोदन उपरांत तदनुसार विकास कार्य करने होंगे।
- (13) समय-समय पर राज्य सरकार एवं न्यास द्वारा नियमों/शर्तों की पालना करनी होगी।
- (14) टाउनशिप पॉलिसी-2010 में उल्लेखित समस्त शर्तों की पालना करनी होगी।
- (15) उक्त ले-आउट का RERA में पंजीयन करवाया जावे।
- (16) उपरोक्तानुसार शर्तों की पालना नहीं होने पर स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।

संलग्न :- स्वीकृत ले-आउट प्लान



सचिव  
नगर विकास न्यास, कोटा

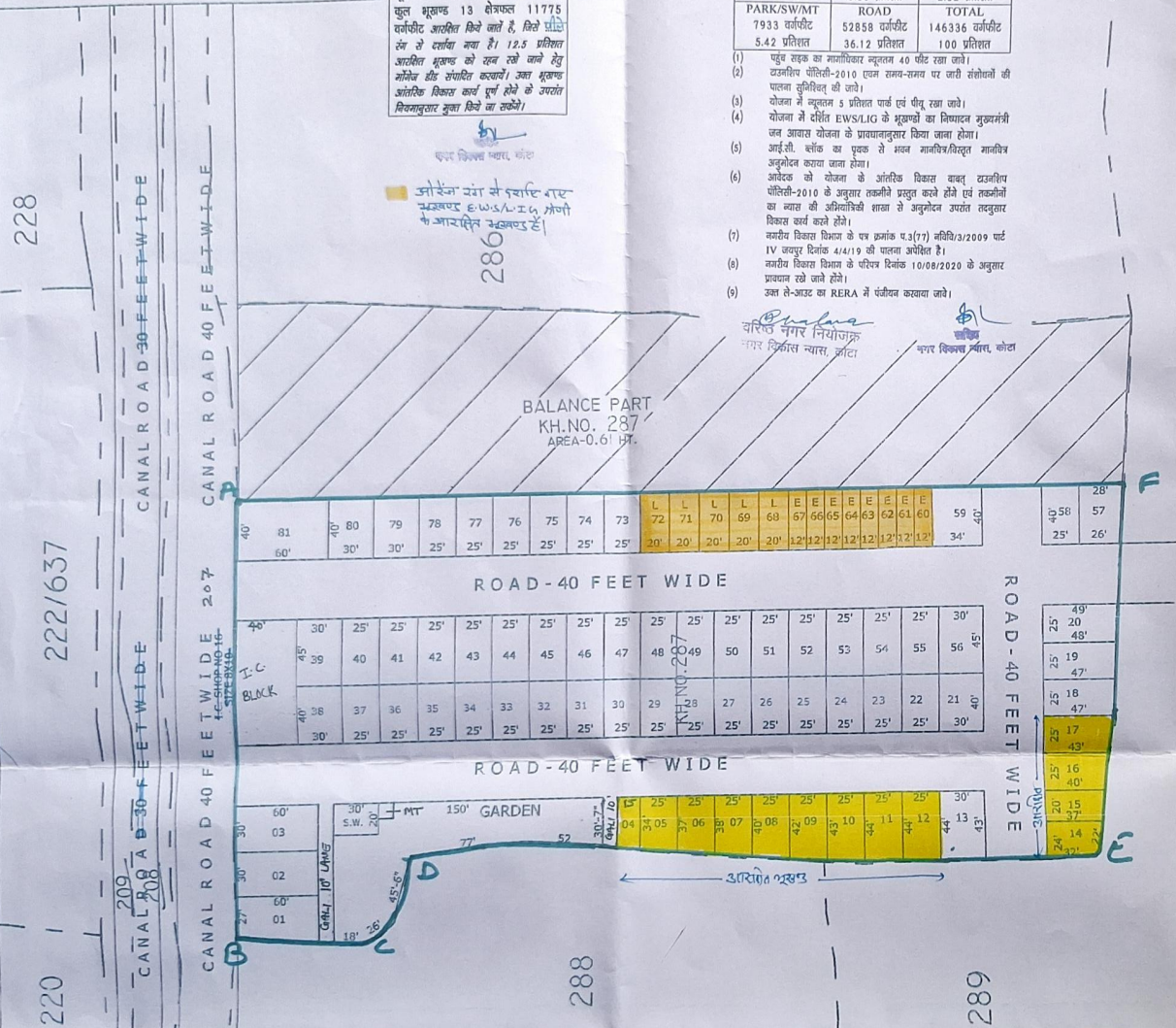
क्रमांक :- एफ 7/डी0सी0पी0/2024/

दिनांक :- /04/2024

प्रतिलिपि :-

- 1- उप सचिव (.....), नगर विकास न्यास, कोटा। को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार 12.5 प्रतिशत आरक्षित भूखण्डों को रहन रखे जाने हेतु मॉर्गेज डीड संपादित करवायें। उक्त भूखण्ड आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत मुक्त किये जा सकेंगे।
- 2- अधिशाषी अभियंता (.....) को प्रेषित कर लेख है कि योजना का समय-समय पर मौका निरीक्षण करें एवम् समय-समय पर विकास कार्य की जांच कर निर्धारित मानदण्ड अनुसार सुनिश्चयता कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

वरिष्ठ नगर नियोजक  
नगर विकास न्यास, कोटा



नोट :-  
 योजना के आंतरिक विकास के छेडे विषयानुसार 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल में भूखण्ड सं 04 से 12, 14 से 17 कुल भूखण्ड 13 क्षेत्रफल 11775 वर्गफीट आंतरिक विवेक को है, विवेक प्रो. सं. ने दावा किया है। 12.5 प्रतिशत आंतरिक भूखण्ड को खन रखे जाने हेतु नॉटिज छेडे संशोधित करवाई। उक्त भूखण्ड आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विषयानुसार मुआ विवेक जा लकड़े।

जोड़ेंगे गंगा से इस्पात गैर चयनकर EWS/LIG के लिए, जंगल में आवासित भूखण्ड है।

ले-आउट प्लान (अयोध्या रेजीडेन्सी आवासीय योजना) खसरा नम्बर 287 नाम रंगतालाब उर्फ कलतालाब रोडवेल 13600 वर्गमीटर (Mark -)

ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 05/03/2024 में छिये गए विषयानुसार विषय हार्ड के रूप ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जाता है -

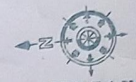
| RESIDENTIAL                    | EWS/LIG                        | I.C. SHOP                     |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 74305 वर्गफीट<br>50.78 प्रतिशत | 7840 वर्गफीट<br>5.36 प्रतिशत   | 3400 वर्गफीट<br>2.32 प्रतिशत  |
| PARK/SW/MT                     | ROAD                           | TOTAL                         |
| 7933 वर्गफीट<br>5.42 प्रतिशत   | 52858 वर्गफीट<br>36.12 प्रतिशत | 146336 वर्गफीट<br>100 प्रतिशत |

- (1) प्लॉट लॉक का मशीनकार न्यूनतम 40 फीट रखा जाये।
- (2) टउनशिप पोस्टर-2010 एलन दमन-नगर पर जारी संकेतों की पालना सुनिश्चित की जाये।
- (3) योजना में न्यूनतम 5 फ्रीहोल पार्क एवं पीयू रखा जाये।
- (4) योजना में दीर्घ EWS/LIG के भूखण्डों का नियमानुसार मुआमला जब आवास योजना के प्राधान्यानुसार किया जाता होगा।
- (5) आई.सी. ब्लॉक का प्लॉट से भवन मशीन/विद्युत मशीन अनुमोदन कराया जाता होगा।
- (6) ओरेंटल को योजना के आंतरिक विकास बाइर टउनशिप पोस्टर-2010 के अनुसार तकनीकी प्रस्तुत करने होंगे एवं तकनीकी का न्याय की अधिनियमों के तहत से अनुमोदन उपरान्त लक्षण विकास कार्य करने होंगे।
- (7) नगरीय विकास विभाग से पर प्रमाण पत्र (77) तारीख 13/2009 पट IV खण्ड दिनांक 4/4/19 की पालना अपेक्षित है।
- (8) नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 10/08/2020 के अनुसार प्रावधान रखे जाने होंगे।
- (9) उक्त ले-आउट का RERA में पंजीयन कराया जाये।

वरिष्ठ नगर नियोजक  
 नगर विकास न्यास, जिला  
 नगर विकास न्यास, जिला

# अयोध्या रेजीडेन्सी

Proposed Site Plan of Residential Plots Map At Near SilverR Bell School On Canal Road Sogariya road Kota (Raj.)  
 KHASRA NO- 287(part) GRAM RANG TALAB/KALA TALAB



SCALE 1 IN. = 50 FT.

| S.NO. | KH.NO. | AREA IN HACT. |           |
|-------|--------|---------------|-----------|
|       |        | IN RECORD     | IN SCHEME |
| 1.    | 287    | 1.97          | 1.36      |

TOTAL 1.36 HT.  
 PROPOSED AREA - 13,600 SQ.MT./1,46,336 SQ.FT.

## AREA STATEMENT:-

| TOTAL AREA- 1,46,336 SQ.FT. |                  |         |
|-----------------------------|------------------|---------|
| RESIDENTIAL AREA            | 74,890 SQ. FT.   | 51.18 % |
| L.I.G./E.W.S.               | 7,840 SQ. FT.    | 5.36 %  |
| I.C. (SHOP)                 | 3,400 SQ. FT.    | 2.32 %  |
| PARK/S.W./M.T.              | 7,933 SQ. FT.    | 5.42 %  |
| ROAD AREA                   | 52,273 SQ. FT.   | 35.72 % |
| TOTAL AREA                  | 1,46,336 SQ. FT. | 100 %   |

नाम रंगतालाब उर्फ कलतालाब रोड सं. 287  
 रजि. 1.36 है 1.36 है डा. अक्षरा सीमा  
 A.T.O. फागिर डि. ग. भा.